न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर
प्रकरण सख्या:– 48/2023 प्रारम्भिक निर्णय दिनांक:–26.05.2025

1 श्री गौतम पिता मंगलजी पटेल जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी नवाडेरा तहसील डुगरपूर जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
2 श्री सुखलाल पिता मंगलजी पटेल जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी नवाडेरा तहसील डुगरपूर जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

वाादीगण

बनाम

1 श्री मीना कुवंर चौहान पत्नि मुकुंद सिंह चौहान जाति राजपुत निवासी बनकोडा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री भुमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92 ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी
उपस्थित :– वकील श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीगण की ओर से
वकील श्री विरेन्द्रसिंह चौहान प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण गांव नवाडेरा तहसील डुगंरपूर व प्रतिवादीगण गांव बनकोडा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा मादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी सख्या एक ने वादग्रस्त आराजी मौजा मादर के खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर मे जबरन बिना बंटवारा किये सडक की व अधिक भुमी हडपने की नियत से तार बन्दी कर दी जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण ने प्रतिवादी से बिना बंटवारा की गई तारबन्दी को हटाने व नियमानुसार बंटवारा करने की करने की बात की जिस पर प्रतिवादी सख्या एक ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से मौके व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर करने की बात कही तो प्रतिवादी ने बंटवारा करने व तारबन्दी हटाने से मना कर दिया जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी है। जिस पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार ही काबिज है जिसका मौके व रिकॉर्ड में विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज है लेकिन वादीगण के डुगरपूर रहने का फायदा उठाकर प्रतिवादी ने जबरन ज्यादा व अच्छी जमीन हडपने की नियत से तारबन्दी कर दी है ऐसे में रिकॉर्ड व मौके पर बिना बटवारे किए प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण करने से वाद विविधता विवाद बढ़ रही है। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा किये वादग्रस्त आराजी मौजा मादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिकमण स्वयं करे, न ही अपने मित्र, एजेन्ट, मजदुरों करावे। आराजी कोई हिस्सा विकय, रहन, बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादीत करे

कमशः पेज सख्या दो पर

Scanned with OKEN Scanner

जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरीत माना जावे तथा वादी को काश्त करने में रुकावट पैदा करे।

वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर भूमि का किस्म व सडक व रिकॉर्ड में अंकित 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जाकर वादीगण व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने आवश्यक है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के भाई का 1/3 हिस्सा दिनांक 29–09–2021 को जरिये रजिस्ट्री खरीद कर राजस्व कर्मचारियों से मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थित में अपने हिस्से जो पूर्व माधवलाल पुत्री रतन जी पाटीदार का था पर तारबंदी लगा कर कब्जा काबिज है तथा अपने हिस्से खसरा न. 970 में अपने हिस्से पर एक ट्यूबवेळ, मकान, यानी कमरा निर्माण तथा अपने हिस्से पर करीब 100 आम के पेड़ लगा कर कब्जा काबिज है तथा अपने हिस्से के अलावा तीनो के बीच 7 बिस्वा भूमि आम रोड के लिए छोड़ी है उस पर वादीगण ही काबिज है वह प्रतिवादी संख्या 1 को ना देकर वादीगण द्वारा रोड की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सीमा जानकारी कर वादीगण की उपस्थिति एवं जानकारी में ही तामिल कराई है अतिक्रमण करने सवाल ही नहीं है जिसकी पुष्टि राजस्व टीम भेजकर वादीगण करवाने स्वतंत्र है प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक बटवारे के अनुसार ही सीमा जानकारी कर कब्जा काबिज है ना की अपनी मर्जी से की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 बटवारे अनुसार विक्रेता के हिस्से पर हो काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कुंआ पेड़ पोधे आदि लगाकर खाद बीज डालकर खर्चा करके उपजाऊ बनाया गया है जिसे देखकर प्रतिवादीगण को बदनियति आ जाने से मनगढ़त बाते पर वाद किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 भूमि बेचान सन दिनांक 29–09–2021 में ही अपने हिस्से पर कब्जा काबिज है मौके पर अपने काबिज व हिस्से अनुसार बटवारा किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 खाता संख्या 982 खसरा नंबर 312, रकबा 3.5612 पर 1/3 हिस्से जो पूर्व पारिवारिक बटवारा हुआ था उस पर सीमा जानकारी कर कब्जा काबिज होकर अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर कुंआ तारबंदी व 100 से ज्यादा वृक्ष लगा कर कब्जा काबिज है उस अनुसार बटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी वादग्रस्त भुमि का बंटवारा करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2 आया वादी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर के स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3 आया प्रतिवादी भूमि बेचान अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

4 आया वादी ग्राम भादर की आराजी संख्या 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर का बंटवारा 1/3 हिस्से के अनुसार करवाया जाकर अलग अलग खाते कायम करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

कमशः पेज सख्या तीन पर

Scanned with OKEN Scanner

5 आया वादी दौराने वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी में निर्माण करता है तो उसे ध्वस्त करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

6 आया वादी प्रतिवादी द्वारा वादगस्त आराजी में बिना बंटवारे के कराई गई तारबंद को हटवाये जाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी 7 अनुतोष

वादीगण ने अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
पीडब्ल्यु 1–वादी गौतम पिता मंगलजी पटेल निवासी नवाडेरा
पीडब्ल्यु 2– वादी माधवलाल पिता रतनजी पाटीदार निवासी नवाडेरा
प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी दिनांक 06.06.2023

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर में मौके पर कब्जे व रिकॉर्ड के हिस्सा अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार बटवारा स्कीम के तहत कानुनी बंटवारा कराया जाकर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तनकी वार निर्णय करना उचित समझता हुं।

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । वादी का कथन हैकि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर होकर स्थित हैकि उक्त आराजी मे बिना बंटवारा किये प्रतिवादी सख्या एक द्वारा सडक के पास वाली व ज्यादा जमीन हडपने के लिये जबरन तारबन्दी कर दी है ऐसे मे मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर का मौके व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है तथा प्रतिवादी का कथन हैकि प्रतिवादी सख्या एक ने वादग्रस्त जमीन का 1/3 हिस्से की भुमी वादीगण के भाई रतनजी से कय की है तथा उसी अनुसार कब्जा किया है ऐसे मे उसी अनुसार बंटवारा कर तारबन्दी की हुई भुमी प्रतिवादी सख्या एक के नाम दर्ज की जावे । पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 से है साबित होता हैकि वादग्रस्त भुमी सयुक्त खातेदारी आराजी है जिसका बंटवारा नही किया गया है तथा प्रतिवादी सख्या एक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही कीया है जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादी सख्या एक ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो ही जमीन का हिस्सा कय कीया हो। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सख्या 2

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । वादी का कथन हैकि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी

क्रमशः पेज सख्या चार पर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर होकर स्थित है जिसका विधि अनुसार बंटवारा नही हुआ है ऐसे मे दौराने वाद प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य किया जाने पर ध्वस्त किया जावे । पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 से है साबित होता हैकि वादग्रस्त भुमी सयुक्त खातेदारी आराजी है जिसका बंटवारा नही किया गया है ऐसे मे वादग्रस्त जमीन के प्रत्येक हिस्से पर सभी खातेदारो का हक निहित होता है ऐसे मे प्रतिवादी सख्या एक को कोई विधिक अधिकार नही हैकि वो बिना बंटवारा वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से मे निर्माण कार्य करे। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सख्या 6

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । वादी का कथन हैकि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर होकर स्थित है जिसका विधि अनुसार बंटवारा नही हुआ है ऐसे मे बिना बटंवारा किये प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त जमीन मे की गई तारबन्दी को ध्वस्त कर हटाया जावे । प्रतिवादी का कथन हैकि प्रतिवादी सख्या एक ने वादग्रस्त जमीन का 1/3 हिस्से की भुमी वादीगण के भाई रतनजी से कय की है तथा उसी अनुसार कब्जा किया है ऐसे मे उसी अनुसार बंटवारा कर तारबन्दी की हुई भुमी प्रतिवादी सख्या एक के नाम दर्ज की जावे । पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 से है साबित होता हैकि वादग्रस्त भुमी सयुक्त खातेदारी आराजी है जिसका बंटवारा नही किया गया है तथा प्रतिवादी सख्या एक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही कीया है जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादी सख्या एक ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो ही जमीन का हिस्सा कय कीया हो। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा भादर तहसील सीमलवाडा में खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर में मौके व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार हिस्सा देते हुए अच्छी से अच्छी किस्म/लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार बंटवारा करने का आदेश किया जाता है। तहसिलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है मौजा भादर तहसील सीमलवाडा कें खाता संख्या 982, खसरा नम्बर 312 रकबा 3.5612 हैक्टेयर आराजी का सर्म्पूण खातेदारो को पुर्व मे लिखित सूचना देकर नियत तारिख को स्वंय की उपस्थिती मे राज. काश्तकारी {राजस्व मण्डल} नियम 1955 के नियम 18–21 के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मय नजरिया बंटवारा नक्शा जिसमे सभी खातेदारो को हक हिस्सा अलग–अलग दर्शित हो एंव सभी खातेदारो के हस्ताक्षर कर न्यायालय

क्रमशः पेज सख्या छः पर

मे पेश किया जावे। निर्णय अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार सीमलवाडा से तलब की जाए। तदनुसार प्रारम्भिक डिकी पर्चा डिकी कायम हो।

सोनू कुमार गुर्जर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सोनू कुमार गुर्जर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner